

## प्रेस नोट

## थाना सुनगढ़ी

थाना सुनगढ़ी पुलिस द्वारा नाबालिग से अश्लील हरकते करते हुये वीडियों बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले 02 अभियुक्तों को 24 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने व उनकी गिरफ्तारी के क्रम में थाना सुनगढ़ी पर पंजीकृत मु0अ0स0 403/2024 धारा 74/351(3) बीएनएस, 67 आईटीएक्ट व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित नामजद अभियुक्तगण 1. मनोज पुत्र हरीश निवासी ग्राम उगनपुर थाना सुनगढ़ी जनपद पीलीभीत उम्र करीब 20 वर्ष (जाति-शर्मा बढई) 2.अफजल पुत्र इस्तियाक निवासी ग्राम भिकारीपुर थाना सुनगढ़ी जनपद पीलीभीत को आज दिनांक 01.12.2024 को थाना सुनगढ़ी पुलिस द्वारा मुखबिर की पुष्ट सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 30.11.2024 को थाना सुनगढ़ी पर वादी द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 23.11.2024 को उसकी बहन के साथ अभियुक्तगण 1. मनोज (उम्र 20 वर्ष) पुत्र हरीश निवासी उगनपुर थाना सुनगढ़ी जनपद पीलीभीत 2. अफजल (उम्र 19 वर्ष) पुत्र इस्तियाक निवासी भिकारीपुर थाना सुनगढ़ी जनपद पीलीभीत द्वारा अश्लील हरकत करते हुए वीडियो बनाने और जान से मारने की धमकी देना तथा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पुनः मिलने के लिए दबाव बनाना, जिससे मानसिक रूप से आहत होकर पीडिता द्वारा तेजाब पी लेने के सम्बन्ध में दी जिसके आधार पर थाना सुनगढ़ी में मु0अ0सं0 403/2024 धारा 74/351(3) बीएनएस, 67 आईटी एक्ट और 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम 1. मनोज पुत्र हरीश 2. अफजल पुत्र इस्तियाक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। मुखबिर की पुष्ट सूचना पर अभियुक्तों को रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-**

1. मनोज पुत्र हरीश निवासी ग्राम उगनपुर थाना सुनगढ़ी जनपद पीलीभीत
2. अवजल पुत्र इस्तियाक निवासी ग्राम भिकारीपुर थाना सुनगढ़ी जनपद पीलीभीत

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. प्र०नि० श्री पवन कुमार पाण्डेय
2. निरीक्षक श्री संजय सिंह
3. का० रमाकान्त
4. का० संगम यादव